म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

कमांक / बोर्ड–4 / 2 / यो. / 71 / 210 भोपाल, दिनांक 28 / 01 / 2008

–: आदेश :–

इस आदेश में जारी किये जाने के पूर्व **"कृषि विपणन पुरूस्कार योजना"** के लिये जारी समस्त आदेशो को अधिष्ठित करते हुये उपविधि की कण्डिका 37 के अंधीन "कृषि विपणन पुरूस्कार योजना" के 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), बलराम जयंती, 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) को निकाले जाने वाले ड्रा से कृषकों को अधिक से अधिक लाभ हो तथा योजना की मूल भावनाओं के अनुरूप कृषकों के हितो को ध्यान में रखते हुए योजना को और अधिक कृषक हितेशी बनाये जाने के लिये योजना में संशोधन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है ।

अतः मध्यप्रदेश राज्य कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 81 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन प्रदेश की समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों से यह अपेक्षा करते हुए निर्देश दिये जाते है कि नियमानुसार प्रस्ताव पारित कर मण्डी समितियों की उपविधि सन् 2000 की उपविधि के **अध्ययाय–छः** की **कण्डिका–37 "कृषि विपणन पुरूस्कार योजना"** के प्रावधानों को अधिष्ठित कर निम्नानुसार प्रावधान स्थापित करते हुए दिनांक 17 फरवरी 2008 तक मण्डी समिति की उपविधि को संशोधित करें :–

कृषि विपणन पुरूस्कार योजना

कंडिका–37 :–

विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगणों के बाहर अधिसूचित कृषि उपजों के अवैधानिक कय–विकय से होने वाले शोषण एवं क्षति से कृषकों को बचाने एवं विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण के बाहर अवैध व्यापार को नियंत्रित कर मण्डी फीस के अपवंचन को रोकने हेतु मण्डी क्षेत्र के कृषकों को अपनी अधिकाधिक कृषि उपज विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगणों में खुली नीलामी पद्धति से प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर विकय करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मण्डी समिति द्वारा **"कृषि विपणन पुरूस्कार योजना"** को निम्नानुसार निर्धारित प्रकिया / शर्तो के अधीन प्रभावशील किया जा सकता है :–

1. योजना की प्रकिया :–

उपरोक्त कृषि विपणन पुरूस्कार योजना को मण्डी समिति में प्रभावशील करने के लिये संबंधित मण्डी समिति को निम्नानुसार प्रकिया का पालन करना अनिवार्य होगा :–

(अ) योजना की स्वीकृति :–

कृषि विपणन पुरूस्कार योजना को प्रभावशील करने के पूर्व मण्डी समिति अपने सम्मेलन में मण्डी निधि की उपलब्धता तथा मण्डी की आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्यसूची में प्रस्ताव रखकर विचार–विमर्श कर योजना को सर्व सम्मति से प्रभावशील करने का निर्णय लेगी।

01/08

(ब) योजना मे विजेताओं को पुरूस्कार वितरण हेतु नगद अथवा कृषि यंत्रों, वस्तुओं एवं कृषि हेतु उपयोगी अन्य साधनों का (योजना की स्वीकृति राशि के अधीन) चयन कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा किया जावेगा।

(स) **बजट प्रावधान** – योजना हेतु मण्डी समिति अपने बजट में पुरूस्कार मद हेतु राशि का प्रावधान नियमानुसार करेगी।

(द) लाटरी ड्रा हेतु मण्डी समिति द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम एवं योजना के प्रचार प्रसार हेतु किये जाने वाले व्यय का प्रावधान भी मण्डी समिति द्वारा बजट में ही पृथक मद स्थापित कर किया जावेगा एवं विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जावेगी।

2. योजना का स्वरूप :–

प्रांगण में कृषकों द्वारा अधिसूचित कृषि उपज विक्रय हेतु लाये जाने पर उन्हें अपनी कृषि उपज की एन्ट्री (प्रविष्टि) मण्डी गेट पर प्रवेश पंजी में करवाकर प्रवेश पर्ची प्राप्त करनी होगी एवं अधिसूचित कृषि उपज को नीलामी द्वारा मण्डी प्रांगण में विक्रय करवाना होगा। अधिसूचित कृषि उपज के नीलामी में विक्रय के पश्चात् अनुबंधकर्ता कृषक द्वारा धारा–37 (1) के अधीन मण्डी कर्मचारी द्वारा जारी अनुबंध पर्ची धारा 37(2) एवं उपविधि कंडिका 17(4) के अधीन क्रेता व्यापारी द्वारा प्ररूप चार में जारी **"भुगतान पत्रक"** सहित कृषि उपज मण्डी समिति के कार्यालय में प्रस्तुत करने पर मण्डी कार्यालय द्वारा सीरियल नं. अंकित कर रिकार्ड में प्रविष्टि कर पृथक से एक भुगतान पत्रक जारी किया जावेगा जिस पर मण्डी समिति के कर्मचारी के हस्ताक्षर एवं मुद्रांकित होगी। एक से अधिक अधिसूचित कृषि उपज विक्रय होने पर पृथक–पृथक भुगतान पत्रक मण्डी समिति द्वारा जारी किये जावेगें। मण्डी समिति द्वारा जारी भुगतान पत्रक की द्वितीय प्रति मण्डी समिति के कार्यालय में सुरक्षित उपलब्ध रखी जावेगी। भुगतान पत्रक पर कृषक का पूरा नाम, वल्दं, पूर्ण पता व उसके हस्ताक्षर अंकित होंगे। मण्डी समिति द्वारा जारी भुगतान पत्रक प्रस्तुत करने पर ही विजेता कृषक को पुरूस्कार प्रदान किया जावेगा। भुगतान पत्रक गुम या नष्ट होने की स्थिति में मण्डी समिति विजेता कृषक की पहचान प्राप्त करने हेतु नियमानुसार सभी आवश्यक विधिक राय एवं परामर्श तथा आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूर्ण कर विजेता से शपथपत्र प्राप्त करेगी। यदि मण्डी समिति समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर विजेता कृषक की पहचान एवं की गई उक्त विधिक प्रक्रिया से पूर्णतः संतुष्ट होती है तो संबंधित कृषक को पुरूस्कार की राशि वितरित/भुगतान करने का निर्णय ले सकती है, परन्तु ऐसे प्रकरणों में मण्डी समिति द्वारा की गई कार्यवाही एवं विजेता कृषक को पुरूस्कार की राशि का भुगतान/वितरण के पूर्व प्रबंध संचालक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3. योजना की पुरूस्कार राशि :–

योजना की प्रति ड्रा पुरूस्कार राशि कृषि उपज मण्डी समिति के प्रवर्गो (श्रेणी) अनुसार उनके सामने दर्शायी गई संख्या अनुसार निम्नानुसार होगी :–

25/11/18

क्रमांक	मण्डी का प्रवर्ग	कण्डिका–4 में उल्लेखित तीन ड्रा के माध्यम से निकाले जाने वाले पुरूस्कारों की अधिकतम कुल राशि	कण्डिका–4 में उल्लेखित बम्पर ड्रा के पुरूस्कार में दी जाने वाली वस्तु का नाम /राशि (यह कण्डिका–4 में उल्लेखित समान्य तीन ड्रा से अतिरिक्त होगी)
1	'क' – प्रवर्ग की मण्डी समिति	1,04,000.00	35 अश्व शक्ति का ट्रेक्टर
2	'ख' – प्रवर्ग की मण्डी समिति	59,500.00	50 हजार रूपये मूल्य के कृषि यंत्र
3	'ग' – प्रवर्ग की मण्डी समिति	39,000.00	50 हजार रूपये मूल्य के कृषि यंत्र
4	'घ' – प्रवर्ग की मण्डी समिति	21,000.00	50 हजार रूपये मूल्य के कृषि यंत्र

मण्डी समिति का प्रवर्ग	बम्पर पुरूस्कार की संख्या	प्रत्येक बम्पर पुरूस्कार की निर्धारित राशि / दी जाने वाली वस्तु का नाम	प्रथम पुरूस्कार की संख्या	प्रत्येक पुरूस्कार की निर्धारित राशि	द्वितीय पुरूस्कारों की संख्या	प्रत्येक पुरूस्कार की निर्धारित राशि	तृतीय पुरूस्कारों की संख्या	प्रत्येक पुरूस्कार की निर्धारित राशि	चतुर्थ पुरूस्कारों की संख्या	प्रत्येक पुरूस्कार की निर्धारित राशि
'क'	01	35 अश्व शक्ति का ट्रेक्टर	01	21,000	02	15,000	02	11,000	04	5,000
'ख'	01	50 हजार रूपये मूल्य के कृषि यंत्र	01	15,000	02	8,000	03	5,500	04	3,000
'ग'	01	50 हजार रूपये मूल्य के कृषि यंत्र	01	10,000	02	6,000	03	3,000	04	2,000
'घ'	01	50 हजार रूपये मूल्य के कृषि यंत्र	01	5,000	02	3,000	03	2,000	04	1,000

योजना का ड्रा :–

कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा कृषि विपणन पुरूस्कार योजना का ड्रा लाटरी द्वारा प्रत्येक वर्ष में तीन बार यथा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) एवं बलराम जयंती (शासन द्वारा घोषित दिनांक) पर निकाले जावेंगे। ड्रा निकालने हेतु कृषि उपज मण्डी समिति द्वार 01 जनवरी से 30 अप्रेल तक जारी भुगतान पत्रकों का ड्रा "15 अगस्त" को व 01 मई से 15 अगस्त तक जारी भुगतान पत्रकों का ड्रा "बलराम जयंती" को तथा 16 अगस्त से 31 दिसम्बर तक जारी भुगतान पत्रकों का ड्रा "26 जनवरी" को निकाला जावेगा। बलराम जयंती को (शासन द्वारा घोषित तिथि) को

निकाले जाने वाले ड्रा के साथ ही बम्पर ड्रा भी पृथक से निकाला जायेगा, जिसमें विगत वर्ष 16 अगस्त से वर्तमान वर्ष 15 अगस्त तक जारी भुगतान पत्रकों को शामिल कर ड्रा निकाला जायेगा। यदि किन्ही अपरिहार्य कारणवश बलराम जयंती को मण्डी द्वारा ड्रा नही निकाला जा सका है तो यह ड्रा, आगामी ड्रा की तिथि, यथा 26 जनवरी को मण्डी में जारी 01 मई से 15 अगस्त तक के भुगतान पत्रकों के लिये और 16 अगस्त से 31 दिसम्बर तक जारी भुगतान पत्रकों के लिए तथा उपरोक्त उल्लेख अनुसार बम्पर ड्रा (विगत वर्ष 16 अगस्त से वर्तमान वर्ष 15 अगस्त तक जारी भुगतान पत्रकों को शामिल कर) अलग-अलग निकाला जावेगा। योजना का ड्रा कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा मण्डी क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर कृषकों, व्यापारियों, मण्डी क्षेत्र के प्रगतिशील कृषकों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में खोला जावेगा। योजना तथा लाटरी ड्रा निकाले जाने वाली तिथि का व्यापक प्रचार प्रसार मण्डी समिति द्वारा किया जावेगा जिसकी सूचना मण्डी समिति, नगर पालिका, पंचायत, जनपद पंचायत तथा कलेक्टर कार्यालय के सूचना पटल पर सूचनार्थ चस्पा कराई जावेगी। यथा संभव ड्रा की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।"

5. योजना के क्रियान्वयन एवं सुचारू संचालन हेतु उपसमिति का गठन :-

कृषि विपणन पुरूस्कार योजना को सुचारू एवं बेहतर ढंग से प्रभावशील/संचालन करने के लिये कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा नियमानुसार यदि आवश्यक हो तो ठहराव/प्रस्ताव पारित कर उपसमिति का गठन किया जा सकेगा, परन्तु योजना को मण्डी क्षेत्रों में सुचारू एवं बेहतर ढंग से प्रभावशील करने का पूर्ण दायित्व मण्डी समिति के सचिव का रहेगा।

6. अंतिम निर्णय का अधिकार :-

कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा प्रभावशील की गई कृषि विपणन पुरूस्कार योजना में उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद पावर अंतिम निर्णय का अधिकार कृषि उपज मण्डी समिति को होगा, जो सभी पक्षों को मान्य करना अनिवार्य होगा।

7. योजना में संशोधन/परिवर्तन का अधिकार :-

कृषि विपणन पुरूस्कार योजना में आवश्यकतानुसार किसी भी समय किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन/रद्द अथवा दिशा निर्देश जारी करने का सर्वाधिकार प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड को सुरक्षित है। प्रबंध संचालक द्वारा योजना के संबंध में दिये गये निर्देशों का पालन करना प्रत्येक मण्डी समिति के लिये अनिवार्य होगा।

अनिर्दिष्ट कालावधि में मण्डी समिति द्वारा उपरोक्तानुसार उपविधि संशोधन न करने की स्थिति में अधिनियम की धारा 81(2) के अधीन उपरोक्त उपविधि संशोधन अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार मण्डी समिति द्वारा संशोधित किया गया समझा जावेगा और तदोपरी ऐसा संशोधन दिनांक 01 मार्च 2000 से मण्डी समिति पर आबध्दकर होगा।

(एस0एस0 उप्पल) 25/11/08
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क/बोर्ड–4/2/यो./71/211 भोपाल, दिनांक 28/01/2008

प्रति,

1. विशेष सहायक, माननीय अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. अपर संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. मुख्यलेखाधिकारी/संयुक्त संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ....।
4. उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल......................................।
5. उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.......................... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। यह सुनिश्चित करें कि उपविधि में उपरोक्त संशोधन प्रत्येक मण्डी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि में स्थापित कर नियत अवधि में मण्डी क्षेत्र में प्रभावशील किया जावे। उपरोक्त उपविधि संशोधन आदेश के पालन में क्रियान्वयन की प्रगति से मण्डी बोर्ड, मुख्यालय की आगामी मासिक बैठक में स्थिति से अवगत करायें।
6. अध्यक्ष/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति.. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल